

मध्यप्रदेश शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 4823 / रा. ग्रा. शे. ज्ञ. दो/07

भोपाल, दिनांक २०/ 12/2007

प्रति:

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
एवं कलेक्टर  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना — मध्यप्रदेश  
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना — मध्यप्रदेश  
कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत)  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना — मध्यप्रदेश  
जिला — श्योपुर, छतरपुर, मंडला, शहडोल, बालाघाट, शिवपुरी, बैतूल, खरगोन,  
सिवनी, डिङ्डोरी, टीकमगढ़, खण्डवा, आर, झाबुआ, बड़वानी, सतना, सीधौ,  
उन्नरेया, गुन्ज अशोकनगर, अनुपपुर, बुरहानपुर, हरदा, छिन्दवाडा, देवास, दहिया,  
झेवा, पन्ना, दमोह, राजगढ़ एवं कटनी (भ.प्र.)

विषय :- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना — मध्यप्रदेश, के अन्तर्गत लघु सिंचाई तालाबों रखने वाले नहरों के रखरखाव कार्यों के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

१। दृष्ट सूमि :

ग्रामीणों की पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले में बड़ी संख्या में तालाब व नहरों का निर्माण किया गया है। यह देखा गया है कि रखरखाव के अभाव में उइ तालाब व नुस्खोंगी हो गये हैं तथा क्षेत्र में जल मंडारण संरचना उपलब्ध होने के बावजूद भी ग्रामीणों व यानी की समस्या से जूझना पड़ता है। इसी प्रकार नहरों के रखरखाव के अभाव में भी कहुं किसानों के छेत्रों तक सिंचाई जल नहीं पहुंच पाता है। परिणाम स्वरूप निर्माण कार्यों में एक दृढ़ी अनुरक्षा निवेश किये जाने के बावजूद भी ये संरचनाएँ उपयोगी नहीं रह पाती हैं व इनके लिये की दूरी नहीं हो पाती है। इन संरचनाओं की उपयोगिता लम्बे समय तक बनाये रखने के लिये इनका समुत्तित युवं निर्मित रखरखाव आवश्यक है। समय पर उचित रखरखाव द्वारा संरक्षित पानी के अनातश्यक अपव्यय को रोकते हुए तालाबों में पानी नहर का पानी कोलाबे से किसान के खेत तक प्राथमिकता के अभाव पर निर्बाध रूप से पहुंचाया जाकर पानी का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

यहां आया है कि रखरखाव कार्यों के लिये सामान्यतः नान प्लान मद में धनराशि उपलब्ध की जाना सम्भव नहीं होता है अतः इन कार्यों हेतु राशि की व्यवस्था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना—मप्र में निहित ग्रावधानों के अनुसार, की जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में प्रदेश के ३१ जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना — मध्यप्रदेश क्रियान्वित की जा रही है, तथा अप्रैल 2008 से प्रदेश के समस्त जिले इस योजना में सम्मिलित

करें जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निम्न सरकार द्वारा जारी क्रियान्वयन नार्गदर्शिका (Operational Guidelines-2006) के अध्याय 5 की कॉपीडिका 5.1.3 में निहित निर्देशों के अनुसार अनुसूची-1 में उल्लिखित कार्यों का रख-रखाब भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत क्रियान्वित किया जावेगा। तदनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के साथ ही अनुसूची-1 में निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों के रख-रखाब कार्य भी इस योजना में लिये जा सकेंगे चाहे वे अन्य किसी योजना के तहत ही क्यों न निर्मित की गई हों।

कॉपीडिका 5.1.3 में अक्षरशः निम्नानुसार प्रावधानित है :-

*"The maintenance of assets created under the Scheme (including protection of affrested land) will be considered as permissible work under NREGA. The same applies to the maintenance of assets created under other programmes but belonging to the sectors of works approved in Schedule I of the Act."*

#### २० ध्येय :

इस वर्तेव ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- नप्र. में उपलब्ध धनराशि, के माध्यम से प्रतेश के तातारों के बंधानों एवं माइनर नहरों के रखरखाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

#### ३.० कार्य शेत्र :

इस वर्तेव के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- भव्य पद्धति में शान्ति लिले होंगे जिसमें स्थित जल संसाधन विभाग को समर्पित बृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं की माइनर नहरों के साथ ही कृषि एवं ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित जल सरचनाओं के कनान क्षेत्र में स्थित माइनर नहरों का साधारण रख-रखाब कार्य होगा। इसके अलावा जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई तालाबों एवं कृषि तथा ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित तालाबों के बंधान कार्य-रख-रखाब कार्य होगा।

#### ४.० क्रियान्वयन एजेन्सियाँ :

४.१ इस कार्य-हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी म.प्र. सिंचाई प्रबंधन एवं कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 के अंतर्गत गठित संबंधित जल उपभोक्ता संथा तथा अन्य जल सरचनाओं हेतु यह ऐजेन्सी संबंधित ग्राम पंचायत होगी। इन कार्यों के ग्राम पंचायतवाल प्रस्ताव संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा बनाये जावेंगे। जल संसाधन विभाग के अधीन जल उपभोक्ता संथाओं का सक्षम प्राधिकारी उपयंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संपादित कार्यों के लिए तकनीकि नियंत्रण

हेतु उत्तरदायी होगा जबकि प्रशासकीय नियंत्रण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत, उत्तरदायी होने तथा दस्तावेज़ एवं ग्रामीण निकास दिभार, नोडल  
विभाग होगा।

- 4.2 बंधान/नहर कार्यों के ग्राम पंचायतवार प्रस्ताव, संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा बनाए जावेंगे। क्रियान्वयन एजेन्सी को यह कार्य मस्टर रोल लगाकर विभागीय रूप से NREGS की गाइड लाइन के अनुरूप करता अनियार्य होगा।

#### 5.0 संकर्म (कार्य) के चयन की प्रक्रिया :

क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा सुधार कार्यों की दृष्टि से बाँध एवं नहर में उत्पन्न दोषों के निदान के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित चरणों में कायवाही दी जाकर तदनुसार संकर्म (कार्य) का चयन किया जावे :-

5.1 तालाबों का रखरखाव : क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा संबंधित उपयंत्री सहित “सहभागिता वाक-थू” के माध्यम से प्रत्येक वर्षाकाल के पूर्व एवं वर्षाकाल के पश्चात बाँध की भौतिक स्थिति का आंकलन किया जावे।

प्रायः तालाबों के रख-रखाव कार्यों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार सुधार कार्यों को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया जावे।

- बाँध के डाउन-स्ट्रीम के ढाल पर नामान्य झाड़ियों की सफाई।
- बाँध के टॉप पर सतह का समतलीकरण।
- बाँध के टॉप पर कड़ी मुरम फैलाना।
- बरसात के कारण बाँध के ढाल में उत्पन्न कटाव तो कड़ी मिट्टी से भरा जाना।
- बंदान में परिलक्षित दारारों को खोलकर उन्हें फिर से कड़ी मिट्टी से भरना।
- बंधान के डाउन-स्ट्रीम पर से यदि कहीं पानी का रिसन हो रहा है अथवा गीलापन परिलक्षित हो रहा है, ऐसी स्थिति में स्थल पर आदश्यकतानुसार मिट्टी हटाकर उक्त दोष के कारणों का पता लगाकर तकनीकी आदश्यकतानुसार मिट्टी/बोल्डर/रेत भरी बोरियों को प्रभावित हिस्से पर रखना।
- डाउन-स्ट्रीम के ढाल की धसकी मिट्टी को रूपाकिंत ढाल अनुसार पुनः ठीक करना।
- बाँध के डाउन-स्ट्रीम टो से रिसे पानी को निकास नालियों द्वारा एकत्रित कर सुरक्षित करने के परिप्रेक्ष्य में निकास नालियों की साफ-सफाई।
- बाँध के डाउन-स्ट्रीम ढाल पर चूहे के बिलों को खोजकर उक्त बिलों को साफ कर पुनः कड़ी मिट्टी से भरना।

> बाँध के अप-स्ट्रीम में ऊबड़-खाबड़ पिचिंग के पत्थरों को निकालकर फिर से जमाना।

> स्तूस द्वार के हिस्सों में ऑयलिंग एवं ग्रीसिंग करना।

> वेस्ट विधर से स्टें बाँध के क्षतिग्रस्त हिस्से (यदि कोई हो) को रूपाकृत सेक्शन के आधार पर सुधार करना।

> वेस्ट विधर के अप-स्ट्रीम एवं डाउन-स्ट्रीम चैनल में बाहरी मिट्टी/बोल्डर धसकने से अवरुद्ध जलभाग को तीक करना।

> वेस्ट विधर के डाउन-स्ट्रीम में स्पिल चैनल की तलहटी की मिट्टी पानी के तैज बहाव से कट जाने की स्थिति में उसका आवश्यक सुधार कार्य।

**5.2 नहरों का रखरखाव :** क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा संबंधित उपयंत्री सहित “सहभागिता वाक-थू” के माध्यम से प्रत्येक फसल सीजन के पूर्व (खरीफ एवं रवीं को फसलें) सिंचाई की दृष्टि से नहर प्रणालों की भौतिक स्थिति का आंकलन किया जावे। साथ ही संबंधित उपयंत्री के साथ नहर प्रणाली हेतु प्रावधानित प्रत्येक संरचना यथा एक्वाड्रेट, क्रास ड्रेनेज स्ट्रक्चर, ग्रामीण पुलिया एवं गेट आदि की स्थिति का भी आंकलन किया जावे।

प्रायः नहरों के रख-रखाव कार्यों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार नहर सुधार कार्यों को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया जावे।

> नहर की तलहटी से गाढ़ (सिल्ट) निकालना।

> नहर की घास साफ़ करना।

> तटों का सुधार कार्य।

> सिंचाई के दोरमन, जहाँ-जहाँ लोटी-मोटी नहर दूटी हो, उसका सुधार कार्य।

> नहर संरचनाओं में छोटा-छोटा मेस्नरी/कॉक्रीट का सुधार कार्य

> नहरों में यदि लाइनिंग है तो उसका छोटा-मोटा सुधार कार्य।

> द्वारों का सुधार कार्य यथा गीयर, द्वारों के स्क्रू की ऑलिंग एवं ग्रीसिंग।

> गेट एवं उसको उठाने वाली प्रणालों में सेटिंग कार्य।

> रोड का सुधार कार्य।

**6.0 लक्षित हितग्राही :**

इस योजना के निम्न हितग्राही होंगे :

**6.1 ग्रामीण क्षेत्र के वे समस्त निवासी जो इन तालाबों में संग्रहीत पानी का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभ लेते हैं।**


- 6.2 ऐसी परियोजनाओं में जो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत है, में कमान क्षेत्र के समर्त जल उपभोक्ता जो कि जल उपभोक्ता संथा के सदस्य है एवं नहर भ्राता से सिंचाई हेतु पानी लेते हैं।
- 6.3 उपरोक्त के अलावा अन्य योजनाओं में जहां “म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999” के अन्तर्गत जल उपभोक्ता संथाओं का कार्याधिकार क्षेत्र नहीं है, ऐसी स्थिति में कृषि एवं ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित जल सरचनाओं के कमान क्षेत्रों में सिंचाई के लिये पानी लेने हेतु गठित जल उपभोक्ता समूह के सदस्य जिनमें वे हिताधिकारी समिलित होंगे जो विषयाधीन जल संरचनाओं से सिंचाई हेतु पानी लेकर लाभान्वित होते हों।
- 7.0 तालाबों के बंधान एवं नहरों के सामान्य सुधार कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार करने की प्रक्रिया:
- 7.1 सामान्य बांध एवं नहरों के वार्षिक रख-रखाव कार्यों के प्राक्कलन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार किये जावे। चूँकि वित्तीय वर्ष के दौरान किये जाने वाले सम्पादित रख-रखाव कार्यों का पूर्वानुमान लगाया जाना कठिन है, अतः उक्त प्राक्कलन विगत वर्षों के अनुभव तथा मानसून पूर्व एवं मानसून परचात् किये गए इशाल निरीक्षण के दौरान गरिमांकित क्षतियों के अवलोकन के शाधार पर तैयार किये जावे।
- 7.2 जल उपभोक्ता संथा के अधीन कार्यक्षेत्र में जल संसाधन विभाग के प्रचलित नियमों के अनुसार प्राक्कलन तैयार किये जावे जबकि कृषि विभाग के कार्यों हेतु कृषि विभाग के नियमों / भानदण्डों के अनुसार तथा पंचायत कार्यों हेतु मुख्य अस्थिरता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी घरिपत्रों के अनुसार प्राक्कलन तैयार किये जावे। प्राक्कलन सामान्यतः ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सी एस आर के अनुसार इकाई लागत पर आधारित होगा ; किन्तु कोई आईटम ग्रामीण यांत्रिकी रेवा के सी एस आर में प्रादूर्धानित न होने की स्थिति में ऐसे आईटम जल संसाधन विभाग के सी एस आर पर आधारित होंगे। स्थानीय स्तर पर निर्माण स्थल की विशिष्टताओं व तकनीकी पड़लुओं को ध्यान में रखकर हो चयनित कार्य की इकाई लागत का निर्धारण किया जाये।
- 7.3 तालाबों के बंधान एवं नहरों के सुधार कार्य हेतु प्रस्ताव को तैयार करने के लिए निनानुसार सर्वेक्षण करना चाहिए :
1. वर्तमान बंधान / नहर का एता सेक्षण जिसमें भूमि का लेवल भी दर्शित हो।
  2. प्रत्येक 30 मीटर पर बंधान / नहर का क्रास-सेक्षण लेना।
  3. बंधान / नहर के सुधार हेतु जिस क्षेत्र से मिट्टी ली जानी है उन क्षेत्रों को ‘बॉरा’ क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित कर ट्रॉयल पिट लें।
  4. कमान क्षेत्र में कतिपय स्थानों पर लेवल लिया, जाना चाहिए जिससे सिंचाई नहर का अलाइनमेन्ट तथा सैच्य क्षेत्र सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही नहर का पानी, किस खेत तक पहुंचता है, इसके बारे में कमान क्षेत्र के कृषकों से जानकारी प्राप्त की जावे।

8.0 तालाब के बंधान/नहर का वाष्पिक सामान्य सुधार कार्य कराने का समय :

तालाब/नहर का सुधार कार्य सामान्यतः ग्राह मई से जून एवं सितंबर से अक्टूबर के बीच ही कराया जावे।

9.0 तकनीकि पहल : बांध एवं नहर के नुगर चार्ट का क्रियान्वयन पाठ्य (Procedure of Design & Hydel Investigation) द्वारा जारी परिपत्रों, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्षयद्वारा के असंतुष्ट तात्त्वाओं के गहरीकरण (गांद निकालने) व जीर्णद्वार कार्य व उपयोजना व क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी पारेपत्र के अनुरूप किया जावे।

9.1 बांध की मेड को रूपाकिंत सेक्शन अनुसार रख-रखाव करना : बांध की मेड में प्रयुक्त कच्ची सामग्री (मिट्टी, मुर्म-सॉइल) की गुणवत्ता के अनुसार स्थायी स्लोप में होती है। अतः ऊपर कार्य काफी सावधानों से किया जाना आवश्यक होता। इह निटटी मेड पर इस प्रकार डालनी चाहिये कि कार्य पूरा होने पर मेड के टॉप लेवल के साथ उपयोग में कठिनाई न हो अर्थात् निर्मित नक्षी चौडाई पहले की चौडाई से कम नहीं होनी चाहिये। पुरानी मिट्टी पर नयी मिट्टी अच्छी पकड़ करे, इसके लिये पुरानी मेड पर हल्की सीढ़ीदार छिलाई (बचिंग) नीचे दर्शाये चित्र के अनुसार ली जाकर नयी मिट्टी का 2:1 से ऊपर के द्रल में नहीं डालना चाहिये।




मिट्टी के ढेले तोड़कर धरमुट से कुटाई कर नहीं डाली जानी चाहिये। मिट्टी बेतरतीब नहीं डाली जानी चाहिये। कार्य की प्रगति दिन प्रति दिन स्पष्ट दिखे, इसके लिये मिट्टी एक ओर से दूसरी ओर लगातार डालनी चाहिये।

9.2

नहरों का रख-रखान अभी भी एक विशेषज्ञता है। यह जलवायी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है।

मात्रा का अधिक जाना चाहिए।



दिग्न : रख-रखावों के दौरान अनुश्रूतण हेतु नहर सेक्षण के प्रमुख लेवल

9.3 नहरों में जल हुई राख की साझा करने की विधि पर लकड़ा सूखसे जल दूरी पर क्रास सेक्षण लंबाई लिये जाते हैं। इसके बाद वह सेक्षण छोटा कर मूल क्षणीय राख सेक्षण की लंबाई की तुलना में बड़ा हो जाता है। इसके बाद लंबाई की सत्यापन, अवधारणा द्वारा उपर्याप्त राखों की दूरी बढ़ा दी जाती है। इसके बाद अनुश्रूतण प्रमाण यह नहर के रख-रखाने की लंबाई 25 हेक्टेएक्टर की तरफ जाता है। नहर की यह अनुश्रूतण के ऊपर रक्षण प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है। इसके दूसरे दरमाने के दृष्टि से यह अनुश्रूतण की लंबाई है।

9.4 नहर सेक्षण में उनसे उपर्याप्त लिये जाने वाले जल की लंबाई में उनी आड़ियों जा जिड से लटकड़ना जाहिर। इस कार्य में यदि नहर का सेक्षण खराब होता है तो वहाँ पर उपर्याप्त नद्रा में मिट्टी डालकर कुटाई ली जाती जाहिर।

10.0 तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान विधियों की प्रक्रिया

10.1 तकनीकी स्वीकृति :

10.1 के अधिक ज्ञानियों के नहर सेक्षण की लंबाई विधि गरे प्रकलनों की तकनीकी विधानों के अधिकारी नियम के अन्तर्मुखिकरिये द्वारा ददार ली जावे। मार्गदर्शन हेतु सेपल प्रकलन अनुलग्नक-“ज” अनुसार है। यदि स्थानीय परिस्थितियों के बाधार पर किसी बधान/नहर विशेष वर सेपल प्रकलन एवं बधान तथा नहर के वार्षिक रख-रखाव हेतु निर्धारित राशि रूपये 250.0 प्रति हेक्टेएर से अधिक राशि का प्रावकलन बनता है, तो उसकी स्वीकृति-सक्षम अधिकारी से एक मुद्रुच्चयांशों के अधिकारी द्वारा प्रदान की जावे।

10.2 प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया :

सर्व कियान्दयन एजेन्सियों को राष्ट्रीय ग्रामीण यारंटी योजना के अन्तर्गत पंचायती राज संरथाओं से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जाना उत्तियार्थ है।

जहाँ जल उपभोक्ता संघ फ्रेग्मेंट एजेन्सी है वह उसके अधीन कायबेत्र में प्रकलनीति इडी का प्रशासकीय अनुमोदन स्वीकृत संघ वीड्या समिति समिति के उपराज्य प्रभागी राज अस्थानों में अधिकारी स्वीकृति जाता है।

अ. कार्यों का शोल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जाना।

प्रत्येक कार्यों का संबंधित उपयंत्री द्वारा तैयार किया गया परियोजना प्रतिवेदन गत जनपद को प्रेषित किया जावेगा। ग्राम पंचायत अपने दैहिक आवक्षित कर लक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करेगी। तत्पश्चात प्रस्तावित कार्यों का ग्राम पंचायतद्वारा अनुमोदन जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत से कराया जावेगा। जिला जनपद एवं ग्राम पंचायत का अनुमोदन अनियाएँ होता। त्रिस्तरीय प्रभाव — नियन्त्रण व व्यवस्था इन्हें त्रिपादी इन् नाइन्स नहरों के कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायत के शोल्फ आफ प्रोजेक्ट ने शामिल किया जायेगा।

ब. प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया जाना।

प्रत्येक राज संरथा द्वारा किया गया एजेन्सी द्वारा शामिल होने की एकजार्ह प्रशासकीय स्वीकृति राष्ट्रीय भारीण संघात परांठा योजना, ग्रामपालीका के तहत सम्पूर्ण राष्ट्र पर जारी नियंत्रणों के ब्रावड्डानों के अनुसार दारों की जातगति।

11.3 रवीकृत कार्यों के संपादन द्वारा राष्ट्रीय उपलब्ध कराना।

प्रत्येक जनपद संबंधित प्रस्ताव को तितलीय स्वीकृति प्रदान कर संबोधित कियान्वयन एजेन्सी द्वारा दर्शक राष्ट्रीय उपलब्ध कराना।

12.0 निर्माण कार्य का प्रतरन किया जाना।

12.1 चयनित कार्यों के कियान्वयन द्वारा संधानिकारा कम संविधित ग्राम पंचायत निर्धारित करें। ऐसा तत्त्वावधि में कित्तपालीमें के लिए 1 हेक्टर का ग्राम करने नीटिस प्रोड और चन्दा करेंगी।

12.2 किंडिका 10.1 में प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं किंडिका 10.2 में इनके इनस्तर्कीय खोजने वा अनुसार कार्यों का ऐसा अनुसार संविधित उपलब्ध द्वारा दिए जाएं।

12.3 उद्योगसामुदार अनुमोदित व प्रस्तर्कीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कार्यों का क्रेट दर्जन संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा कार्ट तकू चयनित निर्माण स्थल पर लिया जाएगा। चूंकि राष्ट्रीय उपलब्ध अनुसार योजना योजना — मध्यप्रदेश एक श्रेणीमुख्य योजना है अतः जार्ये के क्रियान्वयन में नीटिन का प्रयोग लावाहि न किया जाए।

12.4 कार्यों की प्रगति के अनुपात में संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा दैक से भुगतान हेतु राष्ट्रीय निकालकर भुगतान किया जाना।

13.0 क्रियान्वयन वं गुणवत्ता :—

13.1 क्रियान्वयन एजेन्सी यह सुनिश्चित करेंगी कि कार्य का क्रियान्वयन निर्धारित डिजाइन तथा नानदण्डों के अनुसार पूर्ण रूप से जाये और तकनीकी रूप से गुणवत्ता पूर्ण हो। कार्ट की गुणवत्ता के सदृश में किसी भी रिथित में कोई समझौता न किया जाये। अधूरे कार्ट को किसी भी रिथित में पूर्ण भान्फर सम्भव न किया जाये।

13.2 कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता दरतने, फैलावी सुनिश्चित बार्य की मद मजबूती का नुगतान, रिकार्ड एवं लेखा संधारण तथा अन्य अभिलेखों के संधारण के संबंध में मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान यथावत लागू होंगे। हितग्राही कृषक भी उसके लिए क्रियान्वित किये जा रहे कार्य की निगरानी कर सकेगा।

13.3 कार्य के पूर्ण होने पर हितग्राही समूह से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिस पर सरपंच तथा संबंधित उपयंत्री कार्य की पूर्णता प्रमाणित कर हस्ताक्षर करेंगे। तदोपरांत यह पूर्णता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अपने रिकार्ड में संधारित करेगी। कार्य के निर्वाचन स्थल पर भूमि स्वामी हितग्राही/उपयागकर्ता दल के सदस्यों के नाम, कार्य की लागत व आकार अंकित करते हुए एक बोर्ड भी लगाया जायेगा जिस पर कार्य का नाम, कार्य पर व्यय राशि तथा कार्य की पूर्णता दिनांक पेट से अंकित करेगी।

13.4 संपादित कार्य एवं विवरण घटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड में भी अनिवार्यतः दर्ज किया जाये।

13.5 विभाग के आदेश क्र-1688/22/वि-7/छत्त्वारी/07, दिनांक 02/07/2007 के अनुराग नस्ती संधारित की जावेगी। इसी प्रकार आदेश क्र-3665/22/वि-7/ग्रामीण/06 दिनांक 22.6.2006 में ग्रामीण दिकास विभाग के तहत किये जाने जाते निर्माण कार्यों वाले Exit Protocol तैयार किये जाने बाबत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसुप्त इस परिपत्र के अन्तर्गत संपादित किये जाने वाले कार्यों का Exit Protocol अनिवार्यतः संधारित किया जाए।

#### 14.0 मॉनिटरिंग व रिपोर्टिंग :-

14.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनयन पंचायत अपने क्षेत्राधीन ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – म प्र के अन्तर्गत तालाबों के गहरीकरण व जीर्णोद्धार कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्ध क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे।

14.2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-म.प्र. के अन्तर्गत तालाबों के गहरीकरण व जीर्णोद्धार से संबंधित कम से कम 20 कार्यों के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जायेगी।

14.3 क्वालिटी मॉनिटर द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – म प्र के अन्तर्गत तालाबों के गहरीकरण व जीर्णोद्धार के शत प्रतिशत कार्यों की मॉनिटरिंग की जायेगी।

कृपया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – म प्र के अन्तर्गत तालाब गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्यों के क्रियान्वयन अनुसुचित कर्मवाही करने का कार्य करें।

14.4 कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इसी तरह के कार्यों की आयोजना एवं क्रियान्वयन के लिये जल संचालन विभाग के अंतर्गत कमान क्षेत्र विकास संचालन विभाग का गठन किया जा चुका है जिसकी सभाग स्तरीय समिति के अध्यक्ष संबंधित समागमीय आयुक्त हैं। अतः सहस्रधारा योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए जा रहे कार्यों की स्वीकृति एवं उनकी पूर्णता दी जानकारी समागमीय आयुक्त एवं संचालक, राज्य स्तरीय कमान क्षेत्र विकास संचालनालय जल संसाधन विभाग को आवश्यक रूप से प्रदान की जायेगी।

कृष्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना – म प्र के अन्तर्गत तालाब नहरीकरण एवं जीणोद्धार कार्यों के क्रियान्वयन हेतु समूचित कार्यवाही करने का कार्य करें।

४११२.०७  
(प्रदीप भार्गव)  
अपर मुख्य सचिव  
एवं विकास आयुक्त  
मध्य प्रदेश शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रष्ट नं ५४२४ / रा. ग्रा. यो. ग्रा. ओ. /०८  
प्रतिलिपि

भोपाल, दिनांक २३/१२/२००७

- प्रमुख सचिव, मप्र शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- प्रमुख सचिव, मप्र शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- सचिव, मप्र शासन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना मप्र।
- मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना मप्र भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु अद्वेषित।

४११२.०८  
(प्रदीप भार्गव)  
अपर मुख्य सचिव  
एवं विकास आयुक्त  
मध्य प्रदेश शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

सं.	पार्श्वक खेल-खेल / सुधार कार्य का स्थल	आयटम का संक्षिप्त विवरण	कालांक नं.-३ में दर्शित आइटम के इकाई माप एवं मात्रा का विवरण			दर	राशि
			लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	गहराई (मीटर में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	उत्तर स्ट्रीम काल की धरकी मिट्टी के बाहरी भौती हल्ला को कटकर लपाकना अनुसार तैयार करना दरेसी कार्य। एंट चुंडी हुई मिट्टी के बाज के ऊपर बिछाना (आयटम क्र.-2303 छ.)	30 फी. लांघ की लम्बाई में लगभग 2.0 घन फी. कठी गिट्टी की मात्रा	2.0 घन फी.	32.92	65.84		
8	बाथ की डाउन स्ट्रीम टो मिट्टी का काम (अद्वाया नसम मिट्टी में से रिसे पानी को निकास खोदी मिट्टी निर्देशानुसार गड्ढों में निकिया बास एकत्रित कर दुरुस्त करने के पश्चिम में निकास नालियों की सफाई से रिसे पानी को निकास द्वारा अनुसार तैयार करना और उपरी सतह को समतल करके सफाई से दरेसी करना (आयटम क्र.-0304 क.)	30 फी. लांघ की लम्बाई में लगभग 0.1 घन फी.	0.1	3.0 घन फी.	29	87	
9	बाथ के डाउन स्ट्रीम डाल पर चूहे के बिलों को छोड़कर उपर दिलों को साफ कर पुनः कच्छी मिट्टी से भरना	मिट्टी का काम स्पष्ट या कठोर गिट्टी से खोदी मिट्टी से निर्देशानुसार गड्ढों में लगभग 0.5 घन फी. लम्बाई और उपरी सतह को समतल करके 0.5 घन फी. लम्बाई से दरेसी करना (आयटम क्र.-0304 क.)	30 फी. लांघ की लम्बाई में लगभग 0 घन फी.	0	0.5 घन फी.	32.92	16.46
10	बाथ के अप स्ट्रीम में उवल-खारद पिंडिंग के पथरों को निकालकर किर से जमाना डार के हिस्सों में आपालिंग एवं शिसां करना	मिट्टी के लांघ में पथरों के मिलारे का निर्माण पथरों को बिछाने एवं हाथ से जमान घडाई करने एवं सतह तैयार करने के साथ (आयटम क्र.-2310 छ.)	30 फी. लांघ की लम्बाई में लगभग 1 घन फी. लिंचिंग के पथरों के निकालकर किर से जमाना	0	1.0 घन फी.	268.27	268.67
11	वेस्ट वियर से सटे बांध के अतिप्रस्त्र हिस्से (यदि कोई है) को रुपाकित सेवन करना के अधार पर गुधार करना	मिट्टी का काम स्पष्ट या कठोर गिट्टी में खोदी मिट्टी निर्देशानुसार गड्ढों में भरना और उपरी सतह को समतल करके सफाई से दरेसी करना (आयटम क्र.-0340 छ.)	लम्ब-साप्त 1 कालियस्त हिस्से है 1.0 घन फी. कठी गिट्टी	1.0 घन फी.	32.92	32.92	
12				0	200		

# लघु तालाबों के वार्षिक रख-रखाव अंतर्गत आवश्यकतानुसार समधार कार्य हेतु संगल प्राक्कलन

(बंधन क्रास सेक्शन की 30मी. लम्बाई पर अंतन कमी ऊंचाई)

क्र.	वार्षिक कार्य का संक्षिप्त विवरण	आयटम का उपयोग						काला नं.-३ में दर्शक आइटम के काइ-माप एवं माजा ला लियरण			
		लंबाई	चौड़ाई	गहराई (मीटर में)	भाजा	दर	साझा	दर	साझा	दर	साझा
1	ख-रखाव / सुधार सरकल	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	वेस्ट खियर को अप स्ट्रीम मिट्टी का काम (सधान या कठोर मिट्टी एवं डार्जन स्ट्रीम बैगल में) छोटी मिट्टी निर्देशानुसार यांत्रिक भरना और उपरी सतह को सारात फरके धाराकोने से अवश्यक जल सफाई रो दरेसी करना (आयटम क्र. ३१८८ गार्म की ठीक करना छ)			लम्प-समाँ १ घन मी. कठोर मिट्टी का लगानी	१.० घन मी.	३२.९२	३२.९२				
14	वेस्ट खियर के लाजन स्ट्रीम में रिहर बैगल की स्थानीय मिट्टी की स्थानीय की मिट्टी खरना और उपरी साराह को सारात फरके खाली के तेज रहना रो लट लाने की स्थिति में उसका आवश्यक सुधार योग।			लम्प-समाँ १ घन मी. कठोर मिट्टी खरना में रिहर बैगल में लायजी मिट्टी निर्देशानुसार लगाने में खरना और उपरी साराह को सारात फरके खाली के तेज रहना रो लट लाने की स्थिति में उसका आवश्यक सुधार योग।	१.० घन मी.	३२.९२	३२.९२				
जोड़े ३.५	प्रतिशत यक्कचार्ज एवं कट्टन्जेसी चयर (लम्प-सम्प आयटम छाल्हार)										
महारोग											

1. कलम नं.-४ में दर्शाई गई दरे दिनांक १.१२.०७ से प्राचीवर्षील भोपाल ली वर अनुसारी उन्नत है।

2. संगल प्राक्कलन से अकित आयटम तदर्थ रूप से मार्गदर्शन हेतु है। आवश्यकतानुसार ही, नितव्यी ट्रूटिलोन के अनुसार सीमित आयटम संपादित नह्य जाना चाहिये।

3. बंधास एवं उसकी नहर पर वार्षिक रख-रखाव पर होने वाला व्यय रुपरे २५०.० प्रति हेक्टेकर से अधिक नहीं होना चाहिये।

4. यहि स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर किसी बंधान/नहर विशेष पर सेपल प्राक्कलन एवं निर्माण सोमा से अधिक राशि का प्राक्कलन बनाता है, तो उसकी स्थीरता सक्षम अधिकारी एक पद उच्च श्रेणी के अधिकारी द्वारा प्रदान की जावे।

# लघु सिंचाई नहाई में आवश्यकतानुसार एख--रख्त हेतु सेप्ल क्वालन (1 कि.मी. लम्बाई हेतु)

गाप एवं यात्रा का विवरण

प्रधार कार्य का स्वरूप	विवरण	दर	रोपि
2	1 नहर की तलहड़ी से गाद (सिल्ट) निकालना	मिट्टी का काम (अद्भुत या नरम मिट्टी में) खोदी निर्देशानुसार गड्ढों में गरणा या तंध भाँट करना और उपरी सतह को समाल करके सफाई रो दरेसी करना (आयटम क्र.-0304 का)	लम्बाई (मीटर में) चौड़ाई (मीटर में) गहराई (मीटर में) मात्रा
3	2 नहर की धार्त साफ करना	साधान्य जागत सफाई (जहाँ 25 प्रतिशत में कम क्षेत्र शाड़-झंका से ढका हो) में क्षुद घनता घास, झाड़-अफेड जहाँ से उत्थाने सहित (आयटम क्र.-0107)	1000 0.3 0.1 300 घन मी.
4	3 तहो का सुधार कार्य	मिट्टी का काम (भैयन लठारे मिट्टी में) खोदी निर्देशानुसार गड्ढों में गरणा या तंध भराई करना और उपरी सतह को समाल करके सफाई से दरेसी करना (आयटम क्र.-0304 छ)	1000 5 0 500 घन मी.
5	4 रिहाई के दोरान जहाँ-जहाँ थाई-नहर दृढ़ी हो उसका सुधार कार्य	मिट्टी का काम (सधन कठार मिट्टी में) खोदी निर्देशानुसार गड्ढों में गरणा या तंध भराई करना और उपरी रेत को समाल करके सफाई से दरेसी करना (आयटम क्र.-0304 छ)	लाप-संषय आधार पर 1 कि.मी. लम्बाई में अनुमानित 5.0 मांग मी. लम्बी लिटर
6	5 नहर संरचनाओं में छोटा-बोट भरनी/कान्फ्रिट का सुधार कार्य	नीरों और कुर्सी में सख्त पत्थर की रेतार ढोका चिनाई (दूसरे दर्जे की) तिर्यः प्रसाला 1 : 5 में (आयटम क्र.-0506 छ)	5.0 घन मी. 32.92 32.92 164.6
7	6 नहरों में यादि लाइनिंग है सिमेंट कान्फ्रिट 1 : 3 : 0 में लाइनिंग हेतु तो उसका छोटा-मोटा सुधार कार्य	लाप-संग्रह आधार पर 1 कि.मी. लम्बाई में 1.0 पान मी. प्रसाल जी जुड़ाई का लाग	1.0 घन मी. 1578 1578 1740 (जल संसाधन विभाग की दिनांक 17.7.07 से प्रभावशील। दर सूची के लाधार पर)

**लघु सिंचाई नहरों में विश्वकर्मा नुसार रख—रखाव हेतु सेप्ल प्रायद्वयन (1 कि.मी. लम्बाई हेतु)**

पुधार कार्य का स्वरूप	दिवारण	गाप एवं मात्रा का विवरण			दर	राशि	टिप्पणी
		तालाई (मीटर में)	बोडीइ (मीटर में)	गहराई (मीटर में)			
2.	3	4	5	6	7	8	9
3. का सुधार कार्य या गिरर खारों के दूसरी ओरिंग एवं ग्रीसिंग	आवश्यकतानुसार	लाप-सारा आधार पर रु. 200 का प्रायद्वयन	0	0	0	200	10
4. एवं प्राणली भैं खटिंग कार्य	आवश्यकतानुसार	लाप-सारा आधार पर रु. 200 का प्रायद्वयन	0	0	0	200	10
5. रुधार कार्य मजदूरी पुरानी सेतह को सफाई सहित (आपटम फ्र.-2012)	पन्थकुटी पायकी सड़क के गड्ढने भरने हेतु मजदूरी पुरानी सेतह की सफाई सहित	लाप-सारा पर 1 कि.मी. रेट सुधार लाग्य हेतु कार्य की मात्रा 3.0 फ्ट मी.	3.0 घन मी.	496.	496.	1488	
6. ३.५ प्रतिशत बकर्चार्ज एवं कट्टन्चोर्सी हेतु (लम्प-सम्प आयटम बोडीइ)							24044
7. प्रयोगकर्तनों द्वारे भोपाल जिले में दिनांक 1.12.07 से प्रभावशील दर अनुसूची अनुदार है।							842
8. प्रयोगकर्तन में अंकित आयटम तदर्थ रूप से मार्गदर्शन हेतु है। लालराहतानुसार ही, नितलायी दृष्टिकोण के अनुराग रण्गित आयटम संसाधित किया जाए।							46, 243886

प्रयोगकर्तनों द्वारे भोपाल जिले में दिनांक 1.12.07 से प्रभावशील दर अनुसूची अनुदार है।  
दृष्टिकोण एवं उसकी नहर पर यार्बिक रख—रखाव पर होने वाला दर्य लगभग 250.0 मति हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए।

यदि रथानीय परिस्थितियों के अधार पर किसी बंधान / नहर निषेष पर दोपल प्राक्कलन एवं निर्मार्गित रोमा से अधिक राशि का प्राक्कलन बनता है, तो उसकी स्थीकृत सक्रम अधिकारी से एक पद उच्च श्रेणी के अधिकारी हासा प्रदान की जावे।

## बंधान ले क्रास सेवशन की 30मी. लच्छा एवं औसतन 5मी. ऊँचाई

क्र. सं.	यांकिक रख-रखाव / सुधार कार्प का स्वरूप	लोगटम का संक्षिप्त विवरण	कल्याण-3 में दर्शी आइटम के लाइसेंस माप एवं पात्रा का विवरण	कल्याण-3 में लाइसेंस माप एवं पात्रा का विवरण	राशि	
1	1 धूध के डाउन-स्ट्रीम के काले पर सामान्य झाड़ियों की सफाई	सामान्य जाल सफाई (जहाँ 25' प्रतिशत से कम क्षेत्र झाड़-झकड़ में लगा हो) में क्षेत्र बनायती धातु, शाल, शाल शाल तथा उच्चाने सहित। (आयटम क्र.-0107)	30	10	0	300 चार्ट मी. 0.27 81
2	धूध के टाप पर सतह का समतलीकरण	मिटटी का काम (साधन या कठोर शिट्टी में) खोदी मिटटी निर्देशानुसार गड़ों में भरना या बंध भराई करना और उपरी सतह को समतल करके सफाई से दरेंरी करना (आयटम क्र.-0304 छ.)	30	4.5	0.075	10.125 घन मी. 32.92 333.32
3	साथ के टाप पर कड़ी मुख कैलाना	मिटटी का काम (कठोर मुख में) खोदी शिट्टी निर्देशानुसार गड़ों में भरना या बंध भराई करना और उपरी सतह को समतल करके सफाई से दरेंरी करना (आयटम क्र.-0304 ग)	30	4.5	0.075	10.125 घन मी. 36.99 374.92
4	दरधान के कारण बांध के ढाल में उत्सन्न काटना को कड़ी मिटटी से भरा जाना	मिटटी का काम (साधन या कठोर शिट्टी में) खोदी मिटटी निर्देशानुसार गड़ों में भरना या बंध भराई करना और उपरी सतह को समतल करके सफाई से दरेंरी करना (आयटम क्र.-0304 छ.)	30	1.0 घन मी. 32.92 32.92	1.0 घन मी. 32.92 32.92	
5	दरधान में परिलक्षित दरारों को खोलकर उन्हें निर से कड़ी मिटटी से भरना या बंध भराई करना और उपरी सतह गरना	मिटटी का काम (साधन या कठोर शिट्टी में) खोदी मिटटी निर्देशानुसार गड़ों में भरना या बंध भराई करना और उपरी सतह को समतल करके सफाई से दरेंरी करना (आयटम क्र.-0304 छ.)	30	0.5 घन मी. 32.92 16.16	0.5 घन मी. 32.92 16.16	
6	धूध के डाउन स्ट्रीम पर आवश्यकतातुराप से यदि कही पानी का रिस्त हो एहा हो अथवा गिरापन परिलक्षित हो रहा हो तो आयटम कालानारे तथा गरी बोरियां खेना	आवश्यकतातुराप	साठ-साठ आधार पर 200मि. का प्रावधान।		200-0	

# मध्यप्रदेश सिंचाई विभाग

रूपांकन श्रेखला — तकनीकी परिपत्र क्रमांक 16 का संगत भाग

[कृत्य अधिकारी (वोटी) सिंचाई विभाग का क्रमांक 103 / वोटी / द एव ल / टी सी / ११/१० दिनांक 12.12.88]  
माइनर, वाटर कोर्स एवं फील्ड चैनलों का ट्रॉफ्ट सेटअप

## 1. परिमाणांक

**मुख्य नहर :** नहर प्रणाली की प्रमुख जलसरणी जो नदी या जलाशय से निकलती है।

**शाखा नहर :** ऐसी जलसरणी जो मुख्य नहर से जल प्राप्त कर वितरिका को जल प्रदाय करती है।

**वितरिका :** ऐसी जलसरणी जो मुख्य नहर या शाखा नहर से एक क्यूमेक से अधिक शीर्ष जल प्रवाह प्राप्त करती है।

**लघु नहर :** ऐसी जलसरणी जो मुख्य नहर, शाखा नहर या वितरिका से कम शीर्ष जल प्रवाह प्राप्त करती है।

**उप लघु नहर :** ऐसी जलसरणी जो लघु नहर से निकलकर एक से अधिक बरहों को जल प्रदाय करती है।

**कोलाबा :** उप लघु नहर के अंत में निर्भित जलसंरचना जिससे बरहों को जल वितरित किया जाता है।

**बरहा :** ऐसी जलसरणी जो शाखा नहर, वितरिका, लघु नहर या उप लघु नहर से निकल कर जल को टर्न आउट तक ले जाकर 5 से 8 हेक्टेयर तक के सब चक को जल प्रदाय करती है।

**खेत जलसरणी :** ऐसी जलसरणी जो शासकीय आउटलेट से निकलकर फार्मरेट तक जल पहुंचाती है।

**खेत नाली :** ऐसी जलसरणी जो फार्म गेट से खेत तक जल पहुंचाती है।

2. **माइनर, वाटरकोर्स, तथा फील्ड चैनल के सेक्षन हेतु नियन्त्रित गाइड लाइन अनुशासित कि जाती है :**

2.1 **साइड ढाल — साइड ढाल मिट्टी के प्रकार के आधार पर निर्धार करते हैं। इनके मापदण्ड निम्नानुसार हैं :**

मिट्टी प्रकार	का नहर का प्रदाय	कटिंग स्ट्रेक्शन	भरत जा सेक्षन
		लाईनिंग युक्त	विना लाईनर आइसिक (लाईनिंग तथा लाईनर)
लोम, युक्त सिल्ट लोम, सिल्ट क्ले	माइनर	1 : 1	1 : 1
	वाटरकोर्स/फील्ड चैनल	1 : 1	1 : 1
रेतीली लोम,	माइनर	1.5 : 1	1.5 : 1

टीप - लाइनिंग युक्त वाटरकोर्स के निर्माण में जहां लाइनिंग का अधिक लाभप्रद काम्पेदेशन होता है वहां इटों का आयताकार सेक्षण या पी.सो.सी. हेतु व्यवस्थाएँ उपलब्ध नहीं हैं वहां इटों का आयताकार सेक्षण या पी.सो.सी. अर्द्धगोलाकार/टैपेज़ाइडल सेक्षण उपयोग में लाये जा सकते हैं जो अधिक स्थायी होते हैं।

## 2.2 बर्म -

यदि माइनर डीप कटिंग में हो (3 मीटर से अधिक) तो हर 3 मीटर उर्ध्व अंतराल पर 1.5 मीटर चौड़ा बर्म दिया जाना चाहिए।

2.3 किनारे की उपरी चौड़ाई : नाइनर के संबंध में दायी तथा वायी, दोनों और किनारों की चौड़ाई निम्नानुसार दिया जाना चाहिए।

दहाव (क्यूमेक)	किनारे की उपरी चौड़ाई (मीटर)
0.15 क्यूमेक से कम	1.0
-0.15 क्यूमेक से अधिक तथा 1 क्यूमेक से कम	1.25

वाटरकोर्स तथा फील्ड चैनल हेतु किनारों की उपरी चौड़ाई 30 से.मी. टी जाना चाहिए।

2.4 फी बोर्ड - माइनरों में (जिनका बहाव 1 क्यूमेक तक हो) 45 से.मी. का फी बोर्ड, जिसमें 20 से.मी. लाइनिंग युक्त हस्से का फी बोर्ड शामिल हो दिया जाना चाहिए।

वाटरकोर्स एवं फील्ड चैनल हेतु नहर में पानी की गहराई के बराबर, जिसमें लाइनिंग युक्त हिस्से हेतु 12 से.मी. फी बोर्ड शामिल है दिया जाना चाहिए।

2.5 निरीक्षण मार्ग : निरीक्षण मार्ग नाईनर तट ही बनाय जाने चाहिये इथा इन्हें नहर के बाहरी किनारे पर दिया जाना चाहिए। किन भी जहां आर्थिक रूप से सम्भव हो निरीक्षण मार्ग को नहर के किनारे पर निरीक्षण डबला को छोड़कर निरीक्षण मार्ग की उपरी चौड़ाई 300 से.र्टी. होनी चाहिए; सतह ही जल निरीक्षण है तो निरीक्षण मार्ग के बाहरी ओर 1 में 20 का ढाल देना चाहिए।

2.6 डबला - इस एरिस्थितियों ने देना चाहिए निरीक्षण मार्ग को नहर के किनारे पर निरीक्षण डबला दिया गया हो।

डबला की उपरी चौड़ाई 30 से.मी. उचाई 30 से.मी. तथा किनारों के ढाल 15 : 1 होने चाहिए।

2.7 किनारे की न्यूनतम उचाई - जर्मिन की सतह से किनारे की न्यूनतम उचाई 30 से.मी. अनुचासेत है।

2.8 b/d अनुपात - तले की चौड़ाई तथा नहर की गहराई का अनुपात छाटी नहरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तथापि लाइनिंग युक्त नहरों हेतु 1 में 1.25 का तथा बिना लाइनिंग की नहरों में 1 में 1.5 का इक्का अनुपात चाहित है।

2.9 तले की चौड़ाई - माइनर की तले की चौड़ाई हाइडोलिक रूपांकन तथा आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जावेगी।

2.10 हाइडोलिक ढाल रेखा पर आवरण - हाइडोलिक ढाल रेखा का ढाल 3 क्षितिज तथा 1 उर्ध्वाधर (4 : 1) माना जाना चाहिए। हाइडोलिक ढाल रेखा के उपर 30 से.मी. मिटटी का न्यूनतम आवरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.11 किनारे के बाहरी छोर के पश्चात अतिरिक्त भूमि की चौड़ाई - केवल माइनरों के संबंध में टो निकास नाली के बाहरी छोर तथा सीमा पथर के बीच में 1.5 मी. की अतिरिक्त भूमि अधिग्रहीत की जानी चाहिए। वाटरकोर्स तथा फील्ड चैनल के संबंध में ऐसे किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

2.12 जल एक्ट्रीकरण नालियां – माइनर के विशिष्ट सेक्शन में दर्शाये अनुसार नहर के किनारे के मारी छोर पर 30 से नीं. गहरी, 30 से.मी. तले की चौड़ाई तथा 1 : 1 साइड ढाल वाली जल एक्ट्रीकरण नालियां दी जानी चाहिए। याटरफोर्स हथा फील्ड चैनल के संतंत में ऐसे किसी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है।

2.13 अनुपयोगी निटटी का ढेर – गहरी खुदाई वाली माइनरों हेतु अनुपयोगी बिटटी का ढेर हेतु प्रावधान किया जाना चाहिए। अनुपयोगी निटटी के ढेर की अधिकतम उंचाई 300 से.मी. तक सीमित की जानी चाहिए। अनुपयोगी निटटी के ढेर की शोर्ख की चौड़ाई 300 से.मी., साइड टाल 1.5 : 1 तथा दो ढेरों के प्रत्येक 300 से.मी. की लम्बाई के बीच में 3 मी. का खाली स्थान दिया जाना चाहिए।

2.14 नहर बंधान की कुटाई – लाईनिंग युक्त माइनर, याटरकोर्स, एवं फील्ड चैनल बंधान के सभी सेक्शनों की कुटाई ओ.एम.सी. पर एम.डी.डी. कम से कम 90 प्रतिशत तक को जानी चाहिए। बिना लाईनिंग की माइनरों में जिनके किनारे की उंचाई 3 मी. से अधिक है, निटटी की कुटाई उपरोक्त दर्शाए अनुसार की जाना चाहिए।

विना लाईनिंग के माइनरों में जिनकी उंचाई 3 मी. से कम है, फील्ड चैनल, याटरकोर्स की निटटी की कुटाई यद्यपि आवश्यक है फिर भी भितव्यता एवं व्यवहारिक दृष्टि से छोड़ी जा सकती है।

2.15 मोड – नहर के अलाइनमेन्ट में दिशा परिवर्तन की स्थिति में सरल मोड दिया जाना चाहिए। बिना लाईनिंग की नहरों में जल सतह चौड़ाई की 3 से 7 गुना त्रिज्या वाली मध्य रेखा के गोड बनाए जाने चाहिये। बड़ी नहरों हेतु बड़े अनुपात लागू होंगे। लाईनिंग युक्त नहरों में मोड स्थल की स्थिति के अनुसार दिया जाना चाहिए जो 90 डिग्री के सरल मोड से लेकर अधिक से अधिक तक बिना लाईनिंग की नहर हेतु उपरोक्त अनुशंसानुसार हो सकते हैं।

2.16 तल का ढाल – तल का ढाल सामान्यतः जमीन के प्राकृतिक ढाल तथा अधिकतम स्थीकृत गति के आधार पर नियंत्रित होता है। याटरकोर्स तथा फील्ड चैनल हेतु तल का ढाल 1 में 400 से अधिक नहीं होना चाहिए।

3. माइनर, याटरकोर्स तथा फील्ड चैनल के विशिष्ट कास-सेक्शन चित्र कम्तीक 1 तथा 2 पर संलग्न हैं।

## मध्यप्रदेश सिंचाई विभाग

रूपांकन श्रंखला – तकनीकी प्रिप्ट्र क्रमांक 26 का संगत भाग

[पुस्तक अभियंता (दोरी) सिंचाई विभाग जा क्रमांक 207 / दोरी / द एस. ११२५८ / ११/११ दिनांक 28.05.90]

### वाटरकोर्स एवं फील्ड चैनल पर बनाई जाने वाली संरचनाओं – रूपांकन निर्देशिका

#### 1. सामान्य मानदण्ड

1.1 यह निर्देशिका ऐसे चैनल संरचना के लिए है जिसकी प्रवाह क्षमता 28.3 ली. प्रति से. (0.0283 क्यूमीटर) तक है।

1.2 समस्त रूपांकन तथा संरचनात्मक प्रस्ताव एन.पी. – 2 प्रकार (आई.एस.–458–1971) के आर.सी.सी. हयूम पाईप तथा अर्द्धगोलाकार पाइप के उपयोग पर आधारित है।

1.3 समस्त प्रस्तावित संरचनाओं को 30 से.मी. व्यास के अर्द्धगोलाकार पाईप से युक्त लाईनिंग द्वारा नहर के सेक्षण से सीधे जोड़ा जाना है। यदि अर्द्धगोलाकार पाईप से लाईनिंग युक्त सेक्षण के अतिरिक्त अन्य कोई सेक्षण उपयोग में लाया गया है तो संरचना तथा सामान्य नहर सेक्षण के बीच में कम से कम एक अर्द्धगोलाकार पाईप से उपयुक्त ट्रांजिशन तथा किनारों के जोड़ के माध्यम से दिया जाना चाहिए।

1.4 संरचना की भौतिक मापों की पूर्ति हेतु प्रायः संरचना की लम्बाई के भीतर पाईपों के टुकड़ों (2 मी. मानक उपलब्ध लम्बाई के अलावा) का उपयोग प्रायः नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में पाईप की कुछ लम्बाई रूपांकित मात्रा की तुलना में कुछ बाहर की ओर निकली रहेगी। जिसे की उपयुक्त रूप से ढका जा सकता है। इस तरह के बाहर निकले हुए हिस्सों को बिटटी, रिपरेप, बोल्डर अथवा पत्थर जॊ भी आसानी से स्थल पर उपलब्ध हों, से ढका जावे।

नहर के किनारों के जोड़, पारम्परिक बिंग दिवाल एवं रिटर्न के स्थान पर ढाले गये 75 x 20 x 10 से.मी. आकार के 1 : 3 : 6 के सिमेन्ट कार्कीट ब्लॉक का उपयोग किया जाए जो कि संलग्न छाइंग क्रमांक में दर्शाए अनुसार

1.5 सड़क की व्हील गार्ड के मध्य निरी चौड़ाई 3.7 मी. होंगी जो कि 15 से.मी. मोटी ओवर, साइज गिटटी के उपर 15 से.मी. मुरम की तह जो कि टाक से पर्याप्त पानी के छिड़काव एवं कुटाई से बनाई जावेगी। जहां भी रोड कासिंग अन्व प्राधिकरणों यथा लोक निर्माण विभाग/लोक रस्त्य यांत्रि विभाग/रेल्वे को कास करती है ऐसे स्थलों पर मानदण्डों का निर्धारण संबंधित प्राधिकरणों से परामर्श उपरान्त किया जावे।

#### 2. हाइड्रोलिक रूपांकन –

##### 2.1 सिंचाई चैनलों का हाइड्रोलिक रूपांकन – पाइपों से बहाव

2.1.1. संरचना में क्षरण को न्यूनतम करने की दृष्टि से पाइप में बहाव की गति चैनल में बहाव की सामान्य गति से 1.5 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि से दाब आधारित बहाव की परिस्थिति में जैसे नहर/डेनेज साइफन, फॉल, साइफन पुलिया इत्यादि में बड़े व्यास के पाईप प्रस्तावित किये गये हैं। इसका परिणाम पानी की गति में काफी कमी के रूप में परिलक्षित होना पाया गया है। तकनीकी आधार पर ये न्यून गतियां बांछित नहीं हैं। अतः सुझाव है कि यथा सम्भव वाटरकोर्स एवं फील्ड चैनल में दाब युक्त प्रवाह (जैसे नहर साइफन में) की परिस्थिति से बचना चाहिए। तथा केवल अपरिहार्य परिस्थिति में ही इन संरचनाओं को अपनाना चाहिए।

2.1.2. पार्शल बहाव की स्थिति में पाईप में तीन चौथाई पूर्ण भराव से अधिक बहाव अनुमत नहीं किया जाना चाहिए। और ऐसा करने की स्थिति में नीचे किये गये चाईप सरचना के तल लेवल को सामान्य वाटरकोर्स/फील्ड चैनल के तल लेवल से ऊपर नहीं लावे।

2.1.3. सरचना में होने वाले क्षरण को ध्यान में रखते हुए सरचना के अपस्टीम तथा ड्राइवरस्टीम के तल ने उपयुक्त अंतर रखा जावे इस प्रकार के शीर्ष क्षरण की गणना न्या निवरण अनुलग्न में दिया गया है।

सामान्यतः निम्न परिस्थितियों में अपूर्ण भराव की स्थिति (झी बहाव परिस्थिति) में सामान्यतः 2 से.मी. का तथा दाब युक्त बहाव की स्थिति म 3 से.मी. शीर्ष क्षरण प्रावधानित किया जावे :

i जहां शीर्ष क्षरण हेतु कोई बंधन नहीं है।

ii जहां रूपांकन आवश्यकता है निम्न दिवण से अधिक लग्निक न हो :

सामान्य चैनल में बहाव की गति	0.565 मी./से.
सरचना से बहाव की गति	0.860 मी./से.
औसत दहाव दर	24.15 ली./से.
सरचना की लम्बाई	10 मी.

## 2.2 निकास के बहाव का हाइड्रोलिक रूपांकन :

2.2.1 संरचना से बहाव की गति 1.5 मी./से या संरचना से सामान्य से 1.5 गुना बहाव तक, जो भी अधिक हो, तक सीमित रहेगी।

2.2.2 ऐसी परिस्थिति को छोड़कर, जहां निकास सेक्षन सुपरिभाषित नहीं है, जैसे, चौड़ी व सभतल तल बाली घाटी पर कास डेनेज वर्ल, और जहां जल का निकास भूमि की हार्ड परत से हो जो उच्च गति द्वे सकने के लायक हो, वाटर कोर्स तथा फील्ड चैनल से बहाव के क्षेत्र को प्रायः संकुचित नहीं किया जाना चाहिये।

2.2.3 निकास के रूपांकित बहाव को निकास क्षेत्रफल के 0.21 व्यूनेल/हे की दर से निर्धारित किया जाना चाहिये।

2.2.4 बाढ़ के बहाव हेतु संरचना के नीचे से रूपांकित उच्च बाढ़ स्तर (एच एक एल) दा निर्धारण रूपांकित एरिया विधि से मैनिंग के सूत्र में  $N = 0.03$  आधार पर किया जावेगा। उच्च बाढ़ स्तर (एच एक एल) की गणना की सटीकगा हेतु इस प्रकार निर्धारित विर्झन, नये उच्च बाढ़ स्तर (एच एक एल) की तुलना स्थानीय पूछताह व अदाज के आधार पर विन्हाँकित एच एक एल के निशान से की जावेगी। इन दोनों मानों मे से अधिक मान को रूपांकित एच एक एल के रूप में अपनाया जावेगा।

2.2.5 रूपांकित एच एक एल तथा वाटर कोर्स तथा फील्ड चैनल के टी बी एल के बीच 30 सेमी का न्यूनतम फी बोर्ड रखा जावेगा।

2.2.6 अपूर्ण बहाव व दाबयुक्त बहाव मे, पाईप से बहाव हेतु निकास में शीर्ष क्षरण की गणना अनुलग्नक -2 मे दर्शायी गई प्रक्रिया अनुसार ही की जावेगी।

अन्य प्रकरणों में जहां निकास बहाव खुली चैनल समान है, पुल के नीचे एफ्लवस हेतु मोल्सवर्थ का सूत्र उपयोग में लाया जावेगा।

## 2.2 झाप संरचना हेतु हाइड्रोलिक रूपांकन :

2.3.1 — डाइंग क्र. 2 व 3 में दर्शाये अनुसार उच्च छाप हेतु विशिष्ट हाईड्रोलिक रूपांकन गणनाएँ आवश्यक हैं। धक्के से ऊर्जा के क्षरण हेतु 15 सेमी गहराई का न्यूनतम कुशन सुनिश्चित किया जाएँ।

पाईप की छोटी लम्बाईयों का उपयोग (पाईप के टुकड़े) उनकी उपलब्धता व मात्रा के अनुसार किया जा सकेगा।

2.3.2 ढालू या केसकेड प्रकार के फाल में ऊर्जा का क्षरण ढालू फाल के लो पर शिथिलीकरण बैसिन में हाईड्रोलिक जेन के निर्माण से होता है।

1.0 मी., 0.60 मी., 0.45 मी. तथा 0.30 मी. के छापों हेतु 20.0 ली./से. तथा 28.3 ली./से. के चैनल बहावों हेतु हाईड्रोलिक कारक क्रमशः अनुलग्नक — 3 एवं 4 पर दिये गये हैं, जिन्हें अपनाना चाहिये।

2.3.3 ढालू छाप का ढाल 1 उच्च से 3 क्षेत्रिज से अधिक नहीं होना चाहिये। पाईपों को काट दिना मानक पाईप लम्बाईयों को रथलकृति के अनुसार अधिक सपाट ढाल अपनाये जा सकते हैं।

### 3. संरचना रूपांकन :-

3.1.1 निर्माताओं से उपलब्ध पाईप जोड़ों हेतु मानक कॉलर्स का उपयोग नहीं करना चाहिये। अपितु संरचनाओं की विशिष्ट ड्राइंग में सुझाये गये पूर्वनिर्भित सीनेट कांक्रीट खण्डों का उपयोग करना चाहिये। ये सीमेंट कांक्रीट खण्ड सी.सी. 1:3:6 के होंगे। अलग साईज के पाईपों (जैसे अर्ध गोलाकार पाईप का पूर्ण पाईप से जोड़ या कोण पर जोड़) को जोड़ने हेतु जोड़ खण्ड सी.सी. 1:2:4 द्वारा बनाये जाने चाहिये।

### 3.2 नींव :-

3.2.1 काली मिट्टी के अलावा समस्त पदार जी निटिटचो/परलो ने 15 से.मी. नोटी नोट सी.सी. 1:3:6 ने बनाई जानी चाहिये। यदि काली मिट्टी हो तो नींव का कांक्रीट 25 से.मी. मोटी मुर्झने गिर्ही पर कुटाई उपरात छालना चाहिये।

3.2.2 छाप संरचना (ड्राइंग क्र. 2,3) या साईफन पुलिया (ड्राइंग क्र. 4) एवं निकास क्रासिंग (ड्राइंग क्र. 5) के खम्बों हेतु उपयोग में लाये गये उच्च पाईपों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिये उन्हें चारों तरफ 25 से.मी. अतिरिक्त कांक्रीट ने गाढ़ना चाहिये।

### 3.3 तट जोड़ .—

संरचना के आस-पास उचित तट जोड़ों तथा पाश्व भराव करने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिये।

3.3.1 समस्त क्षेत्रिज पाईपों (जैसे ग्रामीण सड़क पुल, कुण्ड प्रकार के फॉल, साईफन पुलिया इत्यादि) पर 60 से.मी. का न्यूनतम आवरण होना चाहिये। 1 मी. तक ऊंचे बंधानों हेतु 1.5:1 के साईड ढाल तथा इससे अधिक ऊंचे बंधानों हेतु 2:1 के साईड ढाल रहेंगे जिसमें उच्च पाईप 30 से.मी. शीर्ष चौड़ाई की मिट्टी में दबे रहेंगे।

### 3.4 बचाव कार्य .—

3.4.1 ऐसे किनारे (नहर बंधान) जो निकास बाढ़ प्रवाह से प्रभावित होते हैं, का बचाव 25 से.मी. मोटी तथा रूपांकित एच.एफ.एल. से 10 से.मी. ऊपर तक सूखे पत्थरों

सड़क क्रांसेग हेतु किया जाता हो या जहां बहाव की गति 1.5 मी./से. से अधिक हो, वहां सर्चना के भीतर की निकास तल की चौड़ाई में 30 से.मी. की पिचिंग की जाना चाहिये।

ऐसे बंधान जिन पर बाढ़ के बहाव का प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें केवल स्थानीय घास के आवरण द्वारा बचाना चाहिये।

- 3.4.2 यहां पर ग्रामीण सड़क पुलिया निर्मित है वहां सड़क की चौड़ाई में दोनों ओर 1.2 मी. केन्द्र/केन्द्र की दूरी पर व्हील गार्ड प्रावधानित किये जायें।

यह व्हील गार्ड सी.सी. 1:3:6 के खण्डों से निर्मित होंगे जिसका आकार  $20 \times 10 \times 75$  से.मी. होगा तथा यह व्हील गार्ड सड़क के ऊपरी तल से 30 से.मी. ऊचे एवं 45 से.मी. नीचे तक होंगे।

- 3.4.3 वाटर कॉर्सेस/फॉल्ड चैनल के साथ-साथ जहां कटेन के गहराई लपाकित पूर्ण प्रदाय गहराई + फ्री बोर्ड से अधिक है, भू-स्तर पर 45 से.मी. चौड़ा बर्म दिया जाना चाहिये। बंधान की भू-स्तर से ऊचाई 30 से.मी. होनी चाहिये, (ड्राइंग क्र. 7 एवं 8)।

- 3.4.4 निकास पुलिया में पाईप के नीचे 15 से.पी. गहरी कटआफ  $75 \times 20 \times 10$  से.मी. के री.सी. 1:3:6 खण्डों द्वारा ड्राइंग क्र. 5 में दर्शाये अनुसार बनाना चाहिये।

- 3.4.5 नींव/कटाव की गहराई के रूपांकन के लिये पारंपरिक कटाव (स्काउर) की गहराई की गणना आवश्यक नहीं है। नींव का गहराई पाईपों की अतिरिक्त लम्बाई जो प्रायः पर्याप्त हो, पर निर्भर करेगी। (ड्राइंग क्र. 3, 4 एवं 6)